

मुंडाओं के देश में "गीत और संगीत"—वर्तमान परिदृश्य

सोमनाथ पुरती

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 22-24

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश— "चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है"। यह प्रचलित कथन जनजातिय बहुल राज्य झारखण्ड के मुंडा जनजाति की पहचान है। वास्तव में यह मुंडारी भाषा के "सेन गे सुसुम, कजिगेदुरंग" का हिन्दी रूपांतरण है। यह कहावत जनजाति अध्ययन के शोधार्थियों को अनायास ही आकर्षित करता है। मैं भी एक शोधार्थी हूँ और मुंडा जनजाति के सम्बन्ध रखने के कारण इसके अध्ययन हेतु मैं स्वप्रेरित हुआ। इस शोध-पत्र में इसी प्रचलित कथन का मुंडा जनजाति के सर्दभ में गहन छानबीन वर्तमान परिदृश्य में किया गया है। मूलतः, यह अध्ययन खूँटी जिले के मुरहू प्रखंड में ऐतिहासिक, आनुभविक और अवलोकन विधि से किया गया है। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि मुख्यतः भौतिकवादी संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव और नक्सलवाद मुंडा जनजाति के गीत-संगीत को भयानक क्षति पहुँचा रहे हैं। इन दोनों कारकों पर नियंत्रण रखकर ही इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द— मुंडा, देश, गोत, संगीत, जनजातिय, झारखण्ड, मुंडारी, भाषा।

परिचय — मुंडा जनजाति झारखण्ड की एक प्रमुख जनजाति है। इसकी भाषा "मुंडारी" है। यह जनजाति संगीत प्रेमी होता है। गीत-संगीत इसकी रग-रग में बसा है। यह इनके जीवन का अभिन्न अंग है, इनके जीने का एक अंदाज है। यह मस्तमौला जनजाति है।

यह मुख्यतः झारखण्ड के राँची, खूँटी, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिले में निवास करती है। इसके अलावे यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी पायी जाती है।

झारखण्ड में एक प्रचलित कथन है — "चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है" — मुंडारी भाषा के "सेन गे सुसुम, कजिगे दुरंग" का हिन्दी रूपांतरण है। इस कथन के बगैर "जनजाति अध्ययन" मुख्यतः मुंडा जनजाति का अध्ययन अधूरा है। इस जनजाति के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उक्त कथन को प्रमुखतः से प्रस्तुत किया जाता है। वैसे यह कथन समान रूप से अन्य जनजातियों यथा — उराँव, संधाल और हो इत्यादि पर भी लागू होता है।

चूँकि प्राचीन झारखण्ड में मुण्डा जनजाति का शासन सदियों तक रहा है, इस कारण मुण्डा जनजाति के इस प्रचलित कथन का अन्य जनजातियों पर भी व्यापक असर हुआ है।

यह कथन स्पष्टतः मुण्डा जनजाति के जीवन पद्धति में गीत-संगीत के महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन क्या वर्तमान परिदृश्य में यह कथन व्यवहार में भी बरकरार है या केवल किताबी-कागजों की बात रह गई है? प्रस्तुत शोध-पत्र में इसी की खोज की गई है। चूँकि यह एक "एकल अध्ययन" है तो अपनी प्रकृति के कारण इसकी परिणाम के सामान्यीकरण की अपनी सीमाएं हैं।

शोध-विधियाँ :- शोध के शीर्षक से संगतता के मद्देनजर ऐतिहासिक विधि अपनाया गया है। साथ ही आनुभाविक विधि इस शोध अध्ययन को गहनता प्रदान करता है।

पूर्ण सहभागी अवलोकन विधि का सहारा लिया गया है।

साक्षात्कार विधि से भी इस अध्ययन को मदद मिला है। सभी आंकड़े "प्राथमिक आंकड़े" हैं।

परिणाम – प्रचलित कथन "चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है" के वर्तमान परिदृश्य का पता लगाने के लिए उपर वर्णित विधियों का सहारा लिया गया है।

प्राचीन काल से ही मुण्डा जनजाति के जीवन में "गीत-संगीत" रचा-बसा हुआ है। यह कथन उतना ही प्राचीन है जितना मुण्डा जनजाति।

पर्व-त्योहारों के अवसर पर "अखड़ा" (पारंपरिक नृत्य स्थल) में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, पुरुष-महिला जिनमें नाचने-गाने वाले और दर्शक-सभी से खचाखच भरा रहता था। जहाँ प्रत्येक पर्व-त्योहार के अवसर पर नाच-गान सप्ताह भर चलता रहता था। आज महज एक घंटे में औपचारिकता भर पूरी करने के लिए किया जाता है। कोई उमंग नहीं कोई जोश नहीं। सभी के मन में अनजाना भय समाया हुआ है – नक्सली का भय। इसलिए पहले जहाँ पूरी रात और दिन भर अनवरत सप्ताह भर चलता रहता था, वहाँ आज महज एक-दो घंटे में समाप्त कर दिया जाता है, वह भी शाम ढलने से पहले। इसके बाद अपने-अपने घरों में लोग दुबक जाते हैं, घरों के अंदर भी कोई गीत-नृत्य और शोर-शराबा नहीं होता है। इस इलाके में नक्सली के द्वारा आए दिन हत्याएँ की जा रही हैं। कब, कौन इसका शिकार हो जाए, इसका भय है। उस कारण लोग चुपचाप छुपकर रहने को मजबूर हैं।

पारंपरिक मेलों और "छऊ-नृत्य" में भी युवक-युवतियाँ भरे जंगल के रास्तों से रात में भी बेखौफ गीत-गाते कार्यक्रम स्थल तक पहुँचते थे। आज कार्यक्रम स्थलों पर गीत (ऑडियो) पर प्रतिबंध है – मुख्यतः "छऊ-नृत्य" स्थलों पर। कारण वही नक्सली का फरमान। हालाँकि इसमें एक बात और है कि "छऊ-नृत्य" के दर्शकों द्वारा कार्यक्रम स्थल और राहों में कुछ अश्लील गीत गाये जाते थे, जिसपर कुछ ग्रामीणों के द्वारा रोक लगा दिया गया है।

कृषि कार्य और मवेशी चराते युवक-युवतियाँ जहाँ गीत गाया करते थे, यह परंपरा अब कहीं नहीं दिखता है।

मुण्डा जनजाति केवल पर्व-त्योहारों के अवसर पर गीत-नृत्य करने वाली जनजाति नहीं है। इसके हर कदम, हर बोली में गीत और संगीत है। मगर आज यह लुप्तप्राय है।

दूसरी ओर इस "संचार-क्रांति" के युग में युवक-युवतियाँ, यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से गीत-नृत्य को प्रसारित प्रचारित कर रहे हैं। मगर इनका मकसद पूर्णतः व्यावसायिक है। और इस कारण "मूल-ढाँचा" को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। युवक-युवतियाँ "यू-ट्यूब चैनल" के माध्यम से अपना शाक पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शूटिंग दिन के समय होती है जब नक्सली खौफ कम रहता है।

यह जाहिर है कि "गीत-नृत्य" का पथ भटका दिया गया है। पहले पर्व-त्योहार के अवसर पर प्रवासी श्रमिक अपने-अपने गाँव आते थे और "अखड़ा" में रंग जमाते थे। पर अब यह इतिहास की बात हो गई है।

निष्कर्ष :- निष्कर्षतः, "गीत-संगीत" मुण्डा जनजाति की अमूल्य धरोहर है। इसे संरक्षित करना सरकार और बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी है। प्रशासन को संवेदनशील होने की जरूरत है। भय के वातावरण में कोई भी कला-संस्कृति कभी पुष्पित-पल्लवित नहीं हो सकता।

संदर्भ सूची (एम एल ए शैली)

1.राय, शरत चन्द्र. द मुंडाज एण्ड देयर कंट्री. तृतीय. राँची, 2004.इंगलिश.